(194)

संख्याः– 12/VIII/13–25(श्रम)/2012

प्रेषक,

आर॰पी॰ फुलोरिया,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

श्रम आयुक्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी,
जिला–नैनीताल।

श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग **देहरादून, दिनाँकः 16 जनवरी, 2013**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए प्रथम अनुपूरक अनुदानों की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः– 321/XXVII(1)/2012, दि॰ 19 जून, 2012 में प्राप्त दिशा–निर्देशों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 में प्रथम अनुपूरक अनुदान के माध्यम से श्रम विभाग के अनुदान संख्याः– 16 में व्यवस्थित धनराशि में से संलग्न विवरणानुसार आयोजनेत्तर पक्ष में रुपये 22,10,000/–(रुपये बाईस लाख दस हजार मात्र) व आयोजनागत पक्ष में रुपये 11,00,000/–(रुपये ग्यारह लाख मात्र) अर्थात् कुल रुपये 33,10,000/–(रुपये तैंसीस लाख दस हजार मात्र) की धनराशि संलग्न अलोटमेंट आई॰डी॰–S1301160182, S1301160183, S1301160184, S1301160185, S1301160186 एवं S1301160187 के अनुसार आपके निर्वतन पर रखते हुये व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखी जा रही है कि उक्त मदों में आवंटित धनराशि का व्यय सीमित रखा जाये। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त–पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहाँ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है, मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

3– इस संबंध में यह ध्यान दिया जायेगा कि यदि किसी मुद्रण/लिपिकीय त्रुटि से किसी मद में माँग से अधिक धनराशि बजट प्राविधान प्रदर्शित हो रहा हो तो वहाँ वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही कार्यवाही की जायेगी।

4– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुदान संख्या–16 के मुख्य लेखाशीर्षक 2230–श्रम तथा रोजगार की सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा। यह आवंटन श्रम विभाग के अधीन समस्त कार्यालयों के लिए किया जा रहा है।

5— प्रायः यह देखा गया है कि धनराशि विभागाध्यक्ष के निर्वतन पर रखने के उपरांत भी विभागाध्यक्ष द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निर्वतन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है। अतः वर्तमान में स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरण–वितरण अधिकारी को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए और फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो सके। धनराशि का उपयोग दि॰ 31 मार्च, 2013 तक करते हुये प्रत्येक माह का बी॰एम॰–13 शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

6— वित्त विभाग के उपरिल्लिखित शासनादेश दि॰ 19 जून, 2012 द्वारा बजट आहरण एवं आवंटन के सम्बन्ध में दिये गये दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7— यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः–321/XXVII(1)/2012 दि॰ 19 जून, 2012 में प्राप्त निर्देशों के क्रम में जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(आर॰पी॰ फुलोरिया)
अपर सचिव।

संख्याः– 12(1)/VIII/13–25(श्रम)/2012, तद्दिनाँकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. एन॰आई॰सी॰, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर।
2. वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर॰पी॰ फुलोरिया)
अपर सचिव।